न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—509/2014/75 (2014/00117)

1. श्रीमती पांची बेवा गोरधन,
2. जयराम पुत्र गोरधन,
3. गोपाल पुत्र गोरधन,
4. श्योराज पुत्र गोरधन,
5. प्रताप पुत्र गोरधन,
6. गोलू पुत्र गोरधन,
7. हरिराम पुत्र भीयां,
8. माना पुत्र भीयां,
9. पेमा पुत्र भींया,
10. रामलाल पुत्र भीयां,
11. अमराव पुत्र भीयां,
12. भंवरलाल पुत्र मूला,
13. काना पुत्र मूला,

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम जाटली, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिये सचिव/प्राधिकृत अधिकारी अजमेर, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर जिला अजमेर ।

रेस्**पोडेंटस**

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर , अजमेर, दिनांक 27.9.2013 आदेश क्रमांक क—/राजस्व/एफ—12 (सी)13/292 .

उपस्थितः—

1. श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलांटस ।
2. श्री गिरीश शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 2 .

निर्णय

दिनांकः— 5.7.2019

1. यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश क्रमांक क—/राजस्व/एफ—12 (सी)13/292 दिनांक 27.9.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश क्रमांक क—/राजस्व/एफ—12 (सी)13/292 दिनांक 27.9.2013 के द्वारा ग्राम ग्राम जाटली, तहसील व जिला अजमेर साबिक खसरा नंबर 720 से बने वर्किंग खसरा नंबर 857 रकबा 00—17—00 व

साबिक खसरा नंबर 721 से बने वर्किंग खसरा नंबर 857 रकबा 00–03–00 बने है जो दौराने बंदोबस्त विभाग के कर्मचारियों ने गैर कानूनी रूप से अपीलांटस की पुश्तैनी खातेदारी वर्किंग खसरा संख्या 857 का 17 बिस्वा एवं खसरा नंबर 721 रकबा 3 बिस्वा अर्थात् 1 बीघा को रेस्पो0 संख्या 2 के नाम गलत त्रुटिपूर्ण इंद्राज कर दिया जिसका पुनः अभिलेख में संशोधन किये बिना ही गैर रूप से अपीलांट की खातेदारी काश्तकारी की आराजी का कुल रकबा 1 बीघा को वर्किंग खसरा नंबर 857 के हाल आधार खसरा नंबर 978, 1034/1323, 1035/1324, 994/1459, 995/1460, 997/1461, 999/1462, 1002/1463, 1003/1464 में समाहित कर दिया गया जिसो बिना अधिकार के रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष आदेश दिनांक 27.9.2013 द्वारा हस्तांरित कर दी गई । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने सर्वप्रथम अपीलमीमों के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पर बहस में कथन किया कि ग्राम जाटली, तहसील व जिला अजमेर स्थित आराजी साबिक खसरा नंबर 720 के वर्किंग खसरा नंबर 857 रकबा 17 बिस्वा व खसरा नंबर 721 रकबा 3 बिस्वा अर्थात् 1 बीघा को रेस्पो0 संख्या 2 के नाम गलत त्रुटिपूर्ण इंद्राज कर दिया जिसका पुनः अभिलेख में संशोधन किये बिना ही गैर रूप से अपीलांट की खातेदारी काश्तकारी की आराजी का कुल रकबा 1 बीघा को वर्किंग खसरा नंबर 857 के हाल आधार खसरा नंबर 978, 1034/1323, 1035/1324, 994/1459, 995/1460, 997/1461, 999/1462, 1002/1463, 1003/1464 में समाहित कर दिया गया जिसो बिना अधिकार के रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष आदेश दिनांक 27.9.2013 द्वारा हस्तांरित कर दी गई । उक्त आदेश से अपीलांट के हक व अधिकार प्रभावित हुए है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.9.2019 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.9.2013 की जानकारी दिनांक 10.11.2014 को अपीलांट ने अभिभाषक से आरजाी के इंद्राज दुरूस्ती बाबत् राजस्व अभिलेख संपर्क किया तब हुई। तत्पश्चात् अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित है । विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि साबिक आराजी खसरा नंबर 720 से बने वर्किंग ासरा नंबर 857 रकबा 17 बिस्वा व खसरा संख्या 721 के वर्किंग खसरा नंबर 857 रकबा 3 बिस्वा बने है जो दौराने बंदोबस्त विभाग के कर्मचारियों ने गैर कानूनी रूप से अपीलांटस की पुश्तैनी खातेदारी आराजी को रेस्पो0 संख्या 2 के नाम गलत दर्ज कर दिया । इस गलत इंद्राज को दुरूस्त किये बिना ही गैर रूप से अपीलांटस की आराजी कुल रकबा 1 बीघा को वर्किंग खसरा नंबर 857 के हाल खसरा नंबरान में सम्मिलित कर दिया गया । अपीलांटस की उक्त आराजी को विद्वान जिला कलक्टर ने अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को मौके एवं रिकार्ड की जांच किये बिना हस्तातंरित करने के आदेश पारित किये है जो प्राकृतिक न्याय के

सिद्धांतों के विपरीत होकर विधिविरूद्ध है । बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजियात पर अपीलांटस पुश्तैनी समय से काबिज काश्त चले आ रहे है । अपीलांटस की खातेदारी आराजियात गैर कानूनी व गलत इंद्राज के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 को हस्तातंरित की गई है तथा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का भी अवसर नहीं दिया गया है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विवादित आराजियात की हद तक निरस्त किया जावे ।

7. जवाब बहस में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 ने बहस में संयुक्त रूप से कथन किया कि विवादित भूमि सिवायचक होने से जिला कलक्टर, अजमेर ने रेस्पो0 संख्या 1 को हस्तातंरित की है एवं वर्तमान में विवादित भूमि रेस्पो0 संख्या 1 के नाम दर्ज है । यह भी कथन किया कि अपीलांट ने अपील मियाद बाहर पेश की है जो खारिज किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है।

9. प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 का अवलोकन किया गया । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि पर पुश्तैनी समय से काबिज काश्त होने का कथन कर स्वंय की खातेदारी होने का कथन किया है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलांटस को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है जिससे वे अपना पक्ष अधी0न्याया0 क समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके थे । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.9.2013 के विरूद्ध अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

10. प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया था । अपीलांट द्वारा विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक है । अतः न्यायहित में विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

11. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश क्रमांक क–/राजस्व/एफ–12 (सी)13/292 दिनांक 27.9.2013 के द्वारा अन्य ग्रामों की भूमियों के साथ–साथ विवादित भूमियां रेस्पो0 संख्या 1 अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को हस्तातंरित किये जाने के आदेश पारित किये है । अपीलांटस का तर्क है कि विवादित आराजियात अपीलांटस की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात है जिस पर पुश्तैनी समय से अपीलांटस का कब्जा काश्त चला आ रहा है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 857 राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता व सड़क दर्ज थी । खसरा नंबर 857 कभी भी अपीलांटस की खातेदारी में दर्ज नहीं रहा है न ही अपीलांटस ने खसरा 857 की जमाबंदी हाजा न्यायालय के समक्ष पेश की है । विवादित भूमि खसरा नंबर 857 से बने नये खसरा नंबर राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता व गैर मुमकिन सड़क दर्ज है तथा ऐसी भूमियों की राज0काश्त0अधि0 के तहत खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है । अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्यों से अपील को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड में

सिवायचक दर्ज होने से रेस्पो0 संख्या 1 को हस्तातंरित की है जो विधिसम्मत् आदेश है ।

12. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 27.9.2013 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

13. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक क–/राजस्व/एफ–12 (सी)13/292 दिनांक 27.9.2013 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

14. निर्णय आज दिनांक 5.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर